



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072021-228299
CG-DL-E-14072021-228299

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2621]
No. 2621]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 2021/आषाढ़ 23, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 2021/ASHADHA 23, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

का.आ. 2826(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ 'हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड' (पैन AAATH2451C), जो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, को उद्भूत होने वाली निम्न विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, नामतः:-

- क. नियोक्ता एवं कर्मचारियों के द्वारा श्रम कल्याण निधि में अंशदान;
 - ख. अदा न किया गया संचय जो कर्मचारियों को देय हो चुका था परन्तु नियोक्ता के द्वारा 2 वर्ष की समयावधि के भीतर अदा नहीं किया गया हो;
 - ग. अंशदान देरी से जमा करने एवं अदा न किए गए संचय पर दंड;
 - घ. बोर्ड के स्टाफ को दिए गए ऋण एवं अग्रिम राशि पर व्याज; तथा
 - ङ. निवेश से प्राप्त व्याज आय।
2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अन्तर्गत प्रभावी होगी कि, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड-
- क. किसी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 - ख. वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधियां एवं विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और
 - ग. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार विवरणी दायर करेगा।

घ. जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) के स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया है, चार्टर्ड एकांटेंट से इस प्रमाण पत्र के साथ कि उपर्युक्त शर्तें पूरी कर ली गई हैं लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापति विवरणी के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 01-06-2020 से 31-03-2021 की समयावधि के लिए एवं वित्त वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 से भी लागू होंगी।

[अधिसूचना सं. 80/2021/फा. सं. 300196/30/2018-आईटीए-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना को पूर्वप्रभावी प्रभाव देने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।